

# मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

विद्युत वितरण खण्ड-पूरनपुर

-लाइन आर्डर फार्म:-

पत्रांक: 3990

वि०वि०खण्ड/अनुबन्ध

दिनांक:- 25/09/2023

बुक संख्या: .....  
कनेक्शन संख्या: .....

विषय:- नये कनेक्शन के सम्बन्ध में।

उपखण्ड अधिकारी,  
विद्युत वितरण उपखण्ड  
पूरनपुर/माधौटाण्डा।

आपको सूचित किया जाता है कि उपभोक्ता श्री/श्रीमती रामप्रवेश पुत्र/पत्नी श्री छोटेलाल यादव ग्राम पंडरा मु० कलीनगर जिला पीलीभीत ने 5 अश्वशक्ति/किलोवाट 3.72 का अनुबन्ध इस कार्यालय में जमा कर दिया है तथा बी०एड० एल फार्म व मोटर निरीक्षण शुल्क का चालान इस कार्यालय में जमा कर दिया गया है। अतः उपभोक्ता को कनेक्शन जारी करें, तथा बी०एड० एल० फार्म का सत्यापन करके एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें।

संलग्नक:- एक प्रति वि०एण्ड०एल० फार्म।

  
(अधिशायी अभियन्ता)

पत्र संख्या-

वि०वि०ख०/अनुबन्ध


दिनांक-.....

- (1) प्रतिलिपि उपभोक्ता श्री रामप्रवेश पुत्र/पत्नी श्री छोटेलाल यादव ग्राम/निवासी पंडरा मु० कलीनगर जिला पीलीभीत को सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) विद्युत निरीक्षक विद्युत सुरक्षा स्टेशन रोड पीलीभीत को चालान फार्म तथा वि०एण्ड०एल० फार्म आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (3) प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (मा०) विद्युत परीक्षण उप खण्ड पूरनपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक :- एक प्रति वि०एण्ड०एल० फार्म।

एक प्रति चालान फार्म।

  
(अधिशायी अभियन्ता)



# मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

## विद्युत वितरण खण्ड-पूरनपुर

पत्र संख्या:- 3979 पीलीभीत/

दिनांक:- 25/09/2023

श्री/श्रीमती रामप्रवेश पुत्र/पत्नी छोटेलाल यादव  
निवासी ग्राम पंडरा मु० कलीनगर

विषय:- नलकूप/कामर्शियल/औद्योगिक व्यवसाय हेतु 5 अश्वशक्ति तथा 3.72 अ०रा० वाट पंखा एवं बत्ती के लिए लोड स्वीकृति के अन्तर्गत विद्युत की देय।

प्रिय महोदय,

आपके विद्युत शक्ति के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र जिसकी स्वीकृति आपको उपरोक्त लोड के सम्बन्ध में पूर्ववत् ही प्रेषित की जा चुकी है। यह सूचित करना है कि आपको विद्युत कनेक्शन/अतिरिक्त भार निम्नांकित तथ्यों के आधार पर अवमुक्त किया जा सकता है। यदि आप सर्विस कनेक्शन की धनराशि जोकि उपभोक्ता की देय होती है इस कार्यालय में नकद रूपों के रूप में निम्न प्रकार जमा करें।

क्र० सं०	विवरण	धनराशि
2.	जमानत की धनराशि	1600
3.	निर्धारित सर्विस कनेक्शन	11825
4.	फिक्स चार्जेज	4997
5.	सिस्टम लोडिंग चार्जेज	शून्य
कुल योग		18422

- उपरोक्त शर्तों के साथ-साथ कार्य सम्पादन से पूर्व लाइन का ले आउट प्लान विभाग से अनुमोदित करना होगा।
- कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की ड्राइंग एवं तकनीकी स्पेशीफिकेशन का अनुमोदन कराना होगा।
- सामग्री की आपूर्ति की कार्यवाही से पूर्व निर्माता/आपूर्तिकर्ता फर्मों को विवरण विभाग को उपलब्ध करना होगा।
- कार्य सम्पादन में आने वाली किसी भी वैधानिक कार्यवाही के लिए सम्बन्धित इकाई स्वयं उत्तरदायी होगा।
- सामग्री क्रय करने के उपरान्त सामग्री की निरीक्षण विभाग द्वारा नामित किसी अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- सामग्री क्रय करने की बीजकों की मूल प्रति इकाई द्वारा विभाग को लाइन निर्माण/संयोजन ऊर्जाकरण से पूर्व उपलब्ध करना होगा।
- कार्य सम्पादन के उपरान्त सम्बन्धित लाइन एवं उपकरणों की जांच सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा उ.प्र. शासन, पीलीभीत जोन द्वारा कराने के उपरान्त आख्या विभाग को उपलब्ध करानी होगी।
- कार्य सम्पादन हेतु ले आउट/प्लान स्पेशीफिकेशन अनुमोदन हेतु वांछित शुल्क विभाग में यथा समय जमा करना होगा।
- इकाई द्वारा कार्य का सम्पादन उ.प्र. पॉवर कॉर्पोरेशन लि. मध्यांचल में पंजीकृत "ए" श्रेणी के ठेकेदार के माध्यम से ही कराना आवश्यक होगा।


यदि आप उपरोक्त सभी शर्तों से सहमत हैं तो कृपया जमानत धनराशि, सर्विस कनेक्शन व्यय तथा सिस्टम लोडिंग चार्जेज आदि का पैसा जमा करने हेतु इस कार्यालय में पधार कर तथा अपनी ओर से दो जमानती एवं 100.00 का नॉन जूडीशियल स्टाम्प पेपर तथा स्वीकृत भार का वी. एण्ड एल. फार्म अपने नाम का दिनांक .....तक जिस दिन कार्यालय खुला हो कार्यालय (10:00 से 3:30 तक) साम में लाने का कष्ट करें जिससे कि आपके साथ अनुबन्ध किया जा सके।

समस्त भुगतान सम्बन्धी रसीदें जो आपने किया है अन्य सम्बन्धित पत्रों सहित साथ लावें। पावर ऑफ अटॉर्नी एवं साझेदारी सम्बन्धी पत्र आदि यदि चाहें गये हो तो उन्हें भी साथ में आवश्यक कार्यवाही हेतु लेते आवें। यदि आपने उपरोक्त औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं की अथवा इस पत्र की प्राप्ति से 30 दिन के अन्दर समय वृद्धि के लिए प्रार्थना पत्र नहीं दिया तो यह शर्त स्वतः रद्द मानी जायेगी।

- स्टाम्प शुल्क पर किसी प्रकार की भिन्नता होने पर आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे, स्टाम्प शुल्क सम्बन्धी सूचना सम्बन्धित विभाग को, मांगे जाने पर उपलब्ध कराये जाती है।

Note: The consumer is required to install shunt capacitor of appropriate capacity to the entire satisfaction of Board the capacitor should be of scheme standard manufacturers & Duty marking by I.S.I. specification

अधिसासी अभियन्ता,  
विद्युत वितरण खण्ड  
पूरनपुर (पीलीभीत)



# मध्याचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

## विद्युत वितरण खण्ड-पूरनपुर

स्वीकृत नं० :- 39-18

वि०वि०ख०पू०/नलकूप

दिनांक 29.09/2022

### कार्यालय ज्ञाप

श्री/श्रीमती रामप्रवेश पुत्र/पत्नी श्री/श्रीमती छोटेलाल यादव निवासी पंडरा मु० कलीनगर जिला- पीलीभीत ग्राम जहां कनेक्शन लगाना है। ब्लॉक पूरनपुर जिला नलकूप/पम्पसेट कनेक्शन हेतु 5 अश्व शक्ति विद्युत भार एतद् द्वारा निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

1. बिजली की मात्रा सीमित होने पर सप्लाई बन्द हो सकती है।
2. विद्युत शक्ति का प्रयोग केवल उपर्युक्त कार्य के लिए ही किया जायेगा। तथापि नलकूप के साथ थ्रेशर कुटी मशीन तथा खड़ा कोल्हू स्वीकृत अश्व शक्ति के अन्दर चलाये जा सकते हैं किन्तु इसके लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगी अन्यथा विद्युत विच्छेदन की जा सकती है।
3. लाइट का प्रयोग केवल पम्प हाउस में ही किया जायेगा तथा उसके लिए 60 वाट क्षमता के अधिकतम दो बल्ब प्रयोग किये जा सकेंगे। इससे अधिक बल्ब लगाने पर सप्लाई बिना नोटिस के काटी जा सकती है। तथा अन्य कार्यवाही की जा सकती है।
4. निजी नलकूप/पम्पसेट पूर्व निर्मित अथवा निर्माणाधीन नहर से 50 मीटर अन्दर नहीं लगाया जायेगा।
5. जिस ट्रांसफार्मर से किसी राजकीय नलकूप को विद्युत दी जा रही है अथवा दी जाने वाली है। किसी भी निजी नलकूप/पम्पसेट को कनेक्शन नहीं दिया जायेगा।
6. नलकूप/पम्पसेट का प्रांकलन (स्टीमेट) कृषक का बोरिंग होने पर ही बनाया जायेगा।
7. प्रक्रमण शुल्क रुपये 100.00 रसीद संख्या दिनांक

अधिशायी अभियन्ता

पत्र संख्या:-

वि०वि०ख०पू०/नलकूप दिनांक.....

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपरोक्त आवेदक।
2. उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड पूरनपुर/मांधौटाण्डा को इस आशय के साथ प्रेषित की वह 15 दिन के अन्दर अनुमानित व्यय पत्र बनाकर कार्यालय को प्रेषित करें।
3. श्री सोमपाल सिंह अवर अभियन्ता 33/11 के०वी० उपकेन्द्र कलीनगर को सर्वे तथा स्टीमेट प्रेषित करने हेतु।
4. क्षेत्र विकास अधिकारी।

अधिशायी अभियन्ता



Head office 4-7A,  
Ph No. 0522-2208737 GSTIN:

Sanction in Hereby Accorded for Rupees 1102  
Chargeable Head Repeal PT9  
For Year 2023-24  
Serial No 636  
*[Signature]*  
Checked  
Executive Engineer

Project Description

: RAM PRAVESH

Project Code

: MVDP.PI.PD2803

Estimate Value

: 11,824.62

Estimate Printout Date

: 27.08.2023

Previous Approved Version

: N.A.

Fund (Project Code)

: PTW\_DEPOSI

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
1	Material & Service-Lines&Cable - MVDP.PI.PD2803.A	No	1.000	2,721.00	2,721.00
1	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	PAA	1.000	143.00	143.00
2	STAY CLAMP 5½" - 2500000034	M	255.000	23.98	6,114.90
3	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	KG	5.000	84.53	422.65
4	STAY WIRE 7/10 SWG - 2700000071	No	4.000	304.00	1,216.00
5	L.T.M.S.CLAMP FOR PCC POLE - 2500000009	No	4.000	36.00	144.00
6	L.T. SHACKLE INSULATOR - 27000000115	No	1.000	549.00	549.00
7	STAY SET 16X1800 - 27000000131	No	1.000	549.00	549.00
	<b>Sub Total - Material (Rs.)</b>				<b>11,310.55</b>
	<b>Total - Material &amp; Service-Lines&amp;Cable - (Rs.)</b>				<b>11,310.55</b>
	<b>T&amp;P Charges - MVDP.PI.PD2803.Q</b>				<b>174.75</b>
1	T&P Charges				<b>174.75</b>
	<b>Sub Total - Charges (Rs.)</b>				<b>174.75</b>
	<b>Total - T&amp;P Charges - (Rs.)</b>				<b>174.75</b>
	<b>Contingency Charges - MVDP.PI.PD2803.Z</b>				<b>339.32</b>
1	Contingency Charges				<b>339.32</b>
	<b>Sub Total - Charges (Rs.)</b>				<b>339.32</b>
	<b>Total - Contingency Charges - (Rs.)</b>				<b>339.32</b>
	<b>Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)</b>				<b>11,824.62</b>
	<b>Return Material - MVDP.PI.PD2803.A</b>				<b>11,824.62</b>
	<b>Grand Total (Rs.)</b>				<b>11,824.62</b>


Amount in Words:

Eleven Thousand Eight Hundred Twenty Four Rupees Sixty Two Paise Only

विद्युत वितरण खण्ड-पूरनपुर

उपकेन्द्र का नाम:-	33/11 के. वी. केली नगर
पोषक का नाम:-	4983 PTW
संयोजन पीएलटी/एलटी पोषक से प्रस्तावित है हां/नहीं	Yes
संयोजन एचएलटी/एलएलटी पर प्रस्तावित है यदि एलएलटी पर है तो उक्त परिवर्तक पर संयोजनों का विवरण	T/F - 25KVA L/F - 5X1KW

लाइन-घाट



Bal

अवर अभियन्ता

33/11 के. वी. उपकेन्द्र का नाम:- केली नगर

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड-प्रथम/द्वितीय  
पूरनपुर/बाघौटाण्डा